संख्या 6/2024/2024/210/24-पी-3-2024-1290/2019

प्रेषक

महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

प्रबन्ध निदेशक	निदेशक
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0	विद्युत सुरक्षा उ0प्र0
शक्ति भवन लखनऊ।	गोमती नगर लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 15 फरवरी 2024

विषय : डी0एम0आर0सी0 तथा प्रदेश में संचालित अन्य सभी मेट्रो रेल परियोजनाओं को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट दिये जाने के सबंध में उत्तर प्रदेश (ड्यूटी) एक्ट 1952 की धारा-3 की उपधारा-4 के अंतर्गत निम्नलिखित प्राविधान है :

राज्य सरकार लोक हित में किसी क्षेत्र में एनर्जी के सम्भरण के लिये वर्तमान मूल्यों को किसी संयंत्र की विद्युत जनन क्षमता को औद्योगिक उत्पादन की सामान्यतया अथवा उसके किसी निर्दिष्ट वर्ग को बढ़ाने की आवश्यकता को और किसी अन्य सुसंगत बात को ध्यान में रखते हुये या तो एनर्जी के विभिन्न वर्गों के उपयोग के संबंध में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की विभिन्न दरें निश्चित कर सकती है अथवा उसका भुगतान करने से कोई भी छूट दे सकती है।

2. विषयगत मामले में सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत डी0एम0आर0सी0 द्वारा संचालित मेट्रो तथा प्रदेश में संचालित अन्य सभी मेट्रो रेल परियोजनाओं को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या 2/2024/24-पी-3-2024-1290/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
4. अध्यक्ष उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन लखनऊ।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (NOIDA) नोएडा।
6. प्रबंध निदेशक पूर्वान्चल पश्चिमांचल मध्यान्चल दक्षिणांचल एवं कैस्को।
7. प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश मैट्रो रेल कारपोरेशन लि0 विपिनखंड गोमतीनगर लखनऊ।
8. प्रबंध निदेशक दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लि0 दिल्ली।
9. प्रबंध निदेशक नोएडा मैट्रो रेल कारपोरेशन लि0 गौतमबुद्धनगर।
10. ऊर्जा अनुभाग-1
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
सर्वेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।